न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 60/2010

वादीगण :-

1. जगदीश पुत्र बालुराम
जाति-माली निवासी-भैंरजी का बाडिया, रास तहसील-जैतारण जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगण :-

1. राधा पत्नी कालू
2. परमा पत्नी गोडाराम
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-ढाणी खेडा रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. प्रेमचन्द पुत्र धन
4. पुखराज पुत्र धन
5. सायरी पत्नी धन
6. हरजी पुत्र मोती
7. जगदीश पुत्र मोती
8. उगमा पुत्र मोती
9. रमेश पुत्र मोती
10. गोपाल पुत्र मोती
11. मल्लादेवी पत्नी मोती
12. रुपा पुत्र चन्द्रा
13. छोटु पुत्र चन्द्रा
14. सत्तु पुत्र चन्द्रा
15. भंवरलाल पुत्र सम्पत
16. छोटूलाल पुत्र सम्पत
17. गणपत पुत्र सम्पत
18. रामदेव पुत्र सम्पत
19. सुनील पुत्र भंवरलाल नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता छटीदेवी पत्नी भंवरलाल
20. मंगला पुत्र सांवल
21. हरजी पुत्र पुसा
22. छटीदेवी पत्नी भंवरलाल
23. देवी पुत्र बालुराम
जातियान-माली, निवासीगण भैंरजी का बाडिया रास, तह-जैतारण जिला-पाली राज
24. शाखा प्रबंधक एमजीबी ग्रामीण बैंक शाखा रास

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:.09/06/2010

उपस्थितः. 1 श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः 03/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा-रास, पटवार क्षेत्र-रास प्रथम, भू अभिलेख क्षेत्र-रास, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 1660 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1665 रकबा 7-11 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1666 रकबा 9-07 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1667 रकबा 0-18 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1669 रकबा 31-00 बीघा किस्म चा0प्र0 एवं खसरा नम्बर 1669/1 रकबा 3-02 बीघा किस्म चा0प्र0, कुल किता-6 कुल रकबा 51-19 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 23 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 22 छटी पत्नी भंवरलाल का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 21 हरजी पुत्र पूसा का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं तथा शेष प्रतिवादीगण 1 से 20 का 1/4 हिस्सा आया हुआ हैं लेकिन काश्त हैं। खसरा संख्या 1669/1 की जमीन वादी के कब्जे में ही हैं। नकल जमांबदी व नक्शा ट्रेस की साथ पेश की जा रही हैं, जिसे दावे का एक भाग माना जावें। वादी व प्रतिवादी संख्या 23 सगे भाई हैं। ख.नं. 1669 रकबा 31 बीघा के अपने 1/4 हिस्से की जमीन प्रतिवादी संख्या 1 राधा व 2 परमा को दिनांक 29/04/08 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख के बेचान कर दी। तब से दोनो ही उक्त भूमि पर काबिज है व काश्त करते आ रहे हैं। नकल पंजीबद्ध विक्रय विलेख की फोटो प्रति दावे के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे दावे का एक भाग माना जावें। दिनांक 29/04/2008 को ही प्रतिवादी संख्या 23 देवी ने अपने सगे भाई वादी जगदीश को जरिये पंजीबद्ध हकतर्क के खसरा नम्बर 1669/1 रकबा 3 बीघा 2 बीस्वा व खसरा नम्बर 1665 रकबा 7 बीघा 11 बीस्वा कुल रकबा 10 बीघा 13 बीस्वा में 1/8-1/8 हिस्सा आता हैं, जिसे हकतर्क करक दिया इस प्रकार अब कुल भूमि में 1/4 हिस्सा वादी का हैं। नकल हकतर्क नामें की साथ पेश की जा रही हैं, जिसे दावें का एक भाग माना जावें। म्यूटेशन संख्या 3129 भरते समय खसरा नम्बर 1665 तो सही लिखा, लेकिन 1669/1 की जगह 1666 गलत रूप से लिख दिया, जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है तथा मानवीय भूल हैं। इसलिए यह दावा रेकर्ड दुरस्ती का पेश किया जा रहा हैं। वादी व प्रतिवादी संख्या 23 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 1669 की जमीन बैचान की थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1व 2 ने 1669/1 की जमीन में दिनांक 22/05/2010 को जबरदस्ती जे.सी.बी. मशीन लगाकर कुआ खोदने लगे, जिसकी सूचना पुलिस थाना रास को दी गयी उस प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति के साथ पेश की जा रही हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी ने ऐसा करने से मना किया। लेकिन वे नहीं माने तथा ऐलानिया धमकी दी कि हम 1669/1 रकबा 3 बीघा 2 बीस्वा में कुआ खोदकर रहेंगे। जबकि उनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यदि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाजायज रूप से अपने नापाक ईरादे में सफल हो जाते हैं, तो वादी को विविध प्रकार के दीवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें तथा अपने सम्पैतिक अधिकारों से महरुम होना पडेगा। वादी जैरबार हो जायेगा तथा वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी मूल्यांकन रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता तथा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। इसलिए उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी संख्या 3 से 22 तक सहकाश्तकार होने से पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 23 को वादी बनने का कहा, मना करने पर प्रतिवादी पक्षकार बनाया हैं। उक्त भूमि में काश्त नहीं हैं। एमजीबी ग्रामीण बैंक को उक्त भूमि रहन होने पर प्रतिवादी संख्या 24 बनाया गया हैं। प्रतिवादी संख्या 19 नाबालिग होने से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जरिये वाद–पत्र के प्रतिवादी पक्षकार बनाकर वाद पेश किया जा रहा हैं। जिसकी अनुमति बाबत पूर्व में अलग से धारा 32 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर बाद अनुमति वाद पेश किया जा रहा हैं। विनायदावा दिनांक 22/05/10 को खसरा नम्बर 1669/1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जमीन जो वादी के कब्जे काश्त की हैं, उसमें जबरन कुआ खोदने शुरु होने व एलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास में पैदा हुआ जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश करने का समय चाहा हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश करने का समय मांगा। कई बार जवाब पेश करने का समय दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं करने से जवाब बंद किया जाता हैं। वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रास, पटवार क्षेत्र–रास प्रथम, भू अभिलेख क्षेत्र–रास, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 1660 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1665 रकबा 7–11 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1666 रकबा 9–07 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1667 रकबा 0–18 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1669 रकबा 31–00 बीघा किस्म चा0प्र0 एवं खसरा नम्बर 1669/1 रकबा 3–02 बीघा किस्म चा0प्र0 में भूमि नामान्तरकरण 3129 में खसरा नम्बर 1966 की जगह 1669/1 को दुरूस्त किया जाता हैं। खसरा नम्बर 1669/1 में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-

1. जगदीश पुत्र बालुराम
जाति-माली निवासी-भैंरजी का
बाडिया, रास तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम प्रतिवादीगण :-

1. राधा पत्नी कालू
2. परमा पत्नी मोडाराम
जातियान-गुर्जर, निवासीगण-ढाणी खेडा
रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली
3. प्रेमचन्द पुत्र धन
4. पुखराज पुत्र धन
5. सायरी पत्नी धन
6. हरजी पुत्र मोती
7. जगदीश पुत्र मोती
8. उगमा पुत्र मोती
9. रमेश पुत्र मोती
10. गोपाल पुत्र मोती
11. मल्लादेवी पत्नी मोती
12. रुपा पुत्र चन्द्रा
13. छोटु पुत्र चन्द्रा
14. सत्तु पुत्र चन्द्रा
15. भंवरलाल पुत्र सम्पत
16. छोटूलाल पुत्र सम्पत
17. गणपत पुत्र सम्पत
18. रामदेव पुत्र सम्पत
19. सुनील पुत्र भंवरलाल नाबालिग
जरिये कुदरती वलिया माता
छटीदेवी पत्नी भंवरलाल
20. मंगला पुत्र सांवल
21. हरजी पुत्र पुसा
22. छटीदेवी पत्नी भंवरलाल
23. देवी पुत्र बालुराम
जातियान-माली, निवासीगण भैंरजी का
बाडिया रास, तह-जैतारण जिला-पाली राज
24. शाखा प्रबंधक एमजीबी ग्रामीण बैंक
शाखा रास

मु0न0 :रा0वा0 स0:60/2010

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं
रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–रास, पटवार क्षेत्र–रास प्रथम, भू अभिलेख क्षेत्र–रास, तहसील–जैतारण में खसरा नम्बर 1660 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1665 रकबा 7–11 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1666 रकबा 9–07 बीघा किस्म चा0प्र0, खसरा नम्बर 1667 रकबा 0–18 बीघा किस्म गै0मु0बेरा, खसरा नम्बर 1669 रकबा 31–00 बीघा किस्म चा0प्र0 एवं खसरा नम्बर 1669/1 रकबा 3–02 बीघा किस्म चा0प्र0 में भूमि नामान्तरकरण 3129 में खसरा नम्बर 1966 की जगह 1669/1 को दुरूस्त किया जाता हैं। खसरा नम्बर 1669/1 में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	–00	स्टाम्प वकालतनामा	01	–00
स्टाम्प वकालतनामा	01	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	06	–00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	09	–00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–	18	–00	मिजानः–	01	–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner